



देश | समाज | राजनीति | अर्थव्यवस्था | शिक्षा | संस्कृति | दुनिया



बंगाल की दोनों सीटों पर भाजपा का परचम, असम में नगांव जीता पुडुचेरी में एआईएनआरसी की वापसी



भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com

संवाददाता अशोक कुमार सिंह
नई दिल्ली, 10 अक्टूबर 2026 ।
विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनावों के
नतीजों में भारतीय जनता पार्टी
(भाजपा) ने पश्चिम बंगाल की
नंदीग्राम और रेजिनगर विधानसभा
सीटों पर जीत दर्ज कर महत्वपूर्ण
राजनीतिक सफलता हासिल की है।
असम की नयांग लोकसभा सीट पर
भी भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा

विजयी रहे, जबकि पुडुचेरी की
थंदांचावडी विधानसभा सीट पर
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन
(एनडीए) के सहयोगी दल ऑल
इंडिया एन. आर. कांग्रेस
(एआईएनआरसी) के उम्मीदवार
अशोक आनंद ने जीत हासिल की।
इन परिणामों ने संबंधित राज्यों में
राजनीतिक समीकरणों और आगामी
चुनाव रणनीतियों को लेकर चर्चा
तेज कर दी है। हालांकि, उपचुनाव
नतीजों को पूरे देश के राजनीतिक

रुझान को निर्णायक संकेत मानने के बजाय संश्लिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की परिस्थितियों के संदर्भ में देखना अधिक उचित होगा। नंदीग्राम में हासरीरानी रथ की बड़ी जीत पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार हासरीरानी रथ ने कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को बड़े अंतर से पराजित किया। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में उनकी जीत का अंतर लगभग 1.22 लाख मत बताया गया है। इस परिणाम को राज्य में भाजपा के लिए महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। रेजिनगर में शंखर सरकार ने हासिल की जीत पश्चिम बंगाल की रेजिनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार शंखर सरकार ने आम जनता उन्नयन पार्टी के उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद को हराया। रिपोर्टों के अनुसार, सरकार ने लगभग 75,816 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। रेजिनगर में भाजपा की सफलता को राजनीतिक रूप से उल्लेखनीय माना जा रहा है, क्योंकि इस सीट पर विभिन्न समुदायों के

मतदाताओं का समर्थन चुनावी परिणामों को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक रहा है। असम की नगाव लोकसभा सीट पर भाजपा का कब्जा असम की नगाव लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल की। उन्होंने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के प्रमुख बरहूरून अजमल को पराजित किया। उपलब्ध चुनावी रिपोर्ट के अनुसार, शर्मा ने 1,72,527 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। यह परिणाम असम में भाजपा के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है। पुडुचेरी में अशोक आनंद विजयी पुडुचेरी की थर्डवाली विधानसभा सीट पर एआईएनआरसी उम्मीदवार अशोक आनंद ने कांग्रेस के ई. विनायगम को हराकर जीत दर्ज की। निर्वाचन आयोग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अशोक आनंद को 13,358 मत मिले, जबकि विनायगम को 4,876 मत प्राप्त हुए। इस तरह आनंद ने 8,482 मतों के अंतर से जीत हासिल की।

धानमंत्री मोदी ने दी बहाई उपजुनावोंकी सफलता और पुजुवेरी की सहयोगी दल की जीत को लेकर सरकारी ध्यानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं की भाषा पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया और विजयी उम्मीदवारों को बहाई दी । भाषा ने इन परिणामों के अने अपने विकास और सुशासन संबंधी केंजे के समर्थन के रूप में प्रस्तुत किया है । परिणामों का राजनीतिक महत्व पश्चिम बंगाल की दो ध्यानसभा सीटों और असम की दो लोकसभा सीट पर भाषा की जीत के लिए उत्साहजनक मानी जा रही है । वहीं पुजुवेरी में एआईएनआरसी की सफलता ने एनडीए को राजनीतिक बढ़त दी है । फिर भी उपजुनावों के नतीजों का क्षेत्रों की राजनीतिक प्रभाव संबंधित क्वाणों की स्थानीय परिस्थितियों, उम्मीदवारों की वीवीकार्यता और मतदाताओं की स्थितिकताओं पर निर्भर करेगा । आने वाले समय में इन परिणामों का दलों की रणनीति पर क्या असर पड़ता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा ।

बंगाल की खाड़ी में 13 अक्टूबर को बन सकता है कम दबाव का क्षेत्र, कई राज्यों में बारिश की संभावना

भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com
नई दिल्ली, 10 अक्टूबर 2026

बंगाल की खाड़ी में आगामी 13 अक्टूबर के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई गई है। मौसम में होने वाले इस बदलाव के कारण देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर



हिरसों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। मौसम संबंधी पूर्वानुमानों के अनुसार, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों में बारिश होने की संभावना है। हालाँकि कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना को फिलहाल चक्रवात की पुष्टि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बनने वाला मौसमी मौसमी तंत्र अर्थात्

चलकर वर्षा की गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। इसकी दिशा तीव्रता और आगे की स्थिति के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में मौसम का प्रभाव अलग-अलग हो सकता है। पूर्वी भारत में बारिश की संभावना मौसम संबंधी पूर्वानुमानों के अनुसार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 10 से



13 अक्टूबर के बीच बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। संभावित मौसमी बदलाव को देखते हुए लोगों को स्थानीय मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। बिहार में भी

मौसम में बदलाव की संभावना के बीच बारिश को लेकर सतर्कता जरूरी है। हालांकि, 10 अक्टूबर को जारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बिहार बुलेटिन में 13 अक्टूबर तक किसी मौसम संबंधी चेतावनी का उल्लेख नहीं है। ऐसे में राज्य में भारी बारिश के अर्द्ध की पुष्टि के लिए नवीनतम आधिकारिक पूर्वानुमान देखना आवश्यक है। मौसम विभागों में भी बदल सकता है मौसम पूर्वानुमान के

अनुसार, 13 अक्टूबर को नागालैंड में त्रिपुरा में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इन राज्यों में स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर वर्षा की तीव्रता अलग-अलग हो सकती है। चक्रवात को लेकर क्या है स्थिति? बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनना और चक्रवात विकसित होना देखा जा सकता है। कम दबाव का क्षेत्र अनुकूल वायुमंडलीय परिस्थितियों में अधिक शक्तिशाली मौसमी तंत्र में बदल सकता है, लेकिन प्रत्येक कम दबाव का क्षेत्र चक्रवात का रूप नहीं लेता। इसलिए संभावित मौसमी तंत्र की स्थिति स्पष्ट होने तक चक्रवात आने की निश्चित घोषणा करना उचित नहीं होगा। लोगों को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की वेबसाइटों और जारी ताजा पूर्वानुमान, जिले स्तर की चेतावनियों और प्रशासन की निर्देशों पर नजर रखनी चाहिए। मौसम संबंधी सलाहें तब हो सकती हैं और भारी बारिश की आधिकारिक चेतावनी जारी होने पर अनावश्यक यात्रा से बचें, जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें और बिजली चमकने के दौरान खुले स्थानों में खड़े न हों।

‘इमरजेंसी की बात करने से पहले इतिहास देखें’, एसआईआर पर सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग राहुल गांधी पर रविशंकर प्रसाद का तीखा हमला के खिलाफ प्रदर्शन से दिल्ली में सुरक्षा कड़ी

भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर 2026 ।
दिल्ली में निर्वाचन आयोग के खिलाफ
विपक्ष के विरोध-प्रदर्शन के बीच
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना
साधा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता
रविशंकर प्रसाद ने आपातकाल का
उल्लेख करते हुए राहुल गांधी की
आलोचना की और कहा कि उन्हें
इमरजेंसी की बात करने से पहले
अपनी दादी एवं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा
गांधी के शासनकाल का इतिहास
याद करना चाहिए। रविशंकर प्रसाद
ने कहा, "आप इमरजेंसी की बात न
करें, आपकी दादी के बारे में पूरी
दुनिया जानती है।" उन्होंने आरोप
लगाया कि जनता ने आरक्षणका
की राजनीति को नकार दिया है।
उनके इस बयान को निर्वाचन आयोग
और मतदाता सूची के मुद्दे पर भाजपा
तथा विपक्ष के बीच बढ़ते राजनीतिक
टकराव के संदर्भ में देखा जा रहा
है। निर्वाचन आयोग के मुद्दे पर
आमने-सामने भाजपा और विपक्ष
दरअसल, दिल्ली में मुख्य निर्वाचन
आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ
विपक्षी दलों का विरोध-प्रदर्शन जारी
है। विपक्ष मतदाता सूची के विरोध
गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और



कथित अनियमितताओं को लेकर
सवाल उठा रहा है। वहीं, भाजपा
नेताओं ने विपक्ष के आरोपों और
आंदोलन के तरीके की आलोचना
की है। इससे पहले भी रविशंकर
प्रसाद राहुल गांधी पर निशाना साधते
हुए आरोप लगा चुके हैं कि विपक्ष
निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था



कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठा रहा है। वहीं, भाजपा नेताओं ने विपक्ष के आरोपों और आंदोलन के तरीकें की आलोचना की है। इससे पहले भी रविशंकर प्रसाद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगा चुके हैं कि विपक्ष निर्वाचन आयोग जैसी वैधानिक संस्था

पर सवाल उठाकर राजनीतिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल मतदाता सूची की प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा कथित गड़बड़ियों की जाँच की मांग कर रहे हैं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल हिरासत में 10 अक्टूबर को दिल्ली में हुए विरोध—प्रदर्शन के दौरान पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई विपक्षी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। विपक्षी नेताओं का यह प्रदर्शन मुख्य निर्वाचन आಯुक्त को खिलाफ था। इस घटनाक्रम ने निर्वाचन आयोग की भूमिका, मतदाता सूची के पुनरीक्षण और विरोध—प्रदर्शन के अधिकार को लेकर राजनीतिक बहस तेज कर दी है। भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप—प्रत्यारोप के बीच मतदाता सूची से जुड़े विवादों का निष्पक्ष आकलन आधिकारिक दस्तावेजों, निर्वाचन आयोग के स्पष्टीकरण और संबंधित पक्षों के तथ्यों के आधार पर किया जाना महत्वपूर्ण है।



भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com

संवाददाता अशोक कुमार सिंह
नई दिल्ली, 10 अक्टूबर 2026।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जारी विवाद के बीच शनिवार को दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। प्रदर्शन व्यक्तियों प्रमुख मांगों में मुख्य निर्वाचन आयोग के अतिरिक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पर चुनावी पारदर्शिता, मतदाताओं के अधिकारों और निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर राजनीतिक बहस तेज कर दी है। मतदाता सूची पुनरीक्षण पर आमने-सामने पक्ष विवाद का केंद्र एसआईआर प्रक्रिया है, जिसके तहत मतदाता सूची की जांच और अद्यतन

किया जाता है। विपक्षी दलों तथा कुछ सामाजिक संगठनों ने आशंका जताई है कि प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में नाम हटने से पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। उनका जोर इस बात पर है कि सूची में संशोधन के दौरान किसी भी पात्र नागरिक का नाम गलती से नहीं हटना चाहिए। दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची के पुनरीक्षण का उद्देश्य मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं से संबंधित प्रविष्टियों की जांच करना बताया जाता है। भाजपा और निर्वाचन आयोग पर राजनीतिक लाभ के लिए नाम हटाने के आरोपों को लेकर विवाद के बीच आरोपों आधिकारिक स्पष्टीकरणों और वास्तविक आंकड़ों का स्वतंत्र मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। राजधानी में व्यापक सुरक्षा ईंटजाम प्रदर्शनों को देखते हुए दिल्ली के प्रमुख

मार्गों और संवेदनशील इलाकों में बैरिकेडिंग की गई तथा पुलिस बल को तैनाती बढ़ाई गई। कई मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद किए गए, जबकि कुछ रेल सेवाओं को भी रद्द या पुनर्निर्धारित किया गया। जनपथ और कर्तव्य पथ के आसपास के कुछ क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रोक लगाए जाने की भी खबरें सामने आईं। इन व्यवस्थाओं से आम यात्रियों और राश्ट्रप्राणी में आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए गए, लेकिन इन प्रतिबंधों के व्यापक प्रभाव को लेकर सवाल भी उठे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधों के अनुपात पर जताई विंता प्रदर्शन से पहले सुरक्षा व्यवस्था के तहत मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और रेल सेवाएं रद्द किए जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया जताई। न्यायालय ने संकेत चिंता व्यक्त की।

सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उपाय ऐसे होने चाहिए, जिनसे आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न हो। अलतल की टिप्पणी ने सुखसूचक जरूरतों और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार के बीच संतुलन की बहस को प्रमुखता दी। मतदाता अधिकारों और पारदर्शिता अहम मुद्दे मतदाता सूची का शुद्ध और अद्यतन होना सुनिश्चित एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है। वहीं, पुनरीक्षण प्रक्रिया में किसी पात्र नागरिक का नाम छूटने की आशंका होने पर समयबद्ध निरीक्षण यात्रा और नाम जुड़ने की स्पष्ट व्यवस्था भी जनता की महत्वपूर्ण है। इस विवाद में विपक्ष के आरोपों और निर्वाचन आयोग के पक्ष का मूल्यांकन तथ्यों, आधिकारिक आंकड़ों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में चुनावी संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पारदर्शिता, जवाबदारी और नागरिकों के मतदान अधिकारों की रक्षा अनिवार्य है।

दिल्ली में **SIR** विवाद पर सियासी घमासान, प्रदर्शन से पहले कई नेता हिरासत में

भारतार्थ खबर
Bhaarataraarth.com

संवाददाता अशोक कुमार सिंह
नई दिल्ली, 10 अक्टूबर 2026 ।
दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष
गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर
राजनीतिक विवाद तेज होने की
खबरों के बीच प्रस्तावित प्रदर्शन से
पहले कई युवा कार्यकर्ताओं और
विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिए
जाने का दावा सामने आया है ।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार
के इस्तीफे की मांग को लेकर
आयोजित किए जाने वाले इस प्रदर्शन
के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा
व्यवस्था कड़ी किए जाने और कुछ
मार्गों पर आवाजाही प्रतिबंधित किए
जाने की जानकारी दी गई है । प्रदर्शन
से जुड़े लोगों ने मतदाता सूची में
कथित अनियमितताओं पर सवाल
उठाते हुए निर्वाचन प्रक्रिया में
पारदर्शिता सुनिश्चित करने और
मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा
की मांग की । हालांकि, इन आरोपों
की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्षों
का अधिकारिक पक्ष सामने आना
आवश्यक है । हवाई अड्डे पर भी
कार्रवाई का दावा प्रदर्शन में शामिल

होने के लिए दिल्ली पहुंचे कॉंग्रेस
जनता पार्टी (CJP) के प्रमुख
अभिजीत दीक्षित और उनके
सहयोगियों सोरब दास तथा
आशुतोष रंका को हवाई अड्डे
पर हिरासत में लिए जाने
की खबर दी गई है । इसके
अतिरिक्त, पूर्व मुख्यमंत्री
ममता बनर्जी और अरविंद
केजरीवाल सहित विपक्ष के
कई नेताओं को भी हिरासत
में लिए जाने का दावा किया
गया है । इन घटनाओं के
संबंध में संबंधित नेताओं,
पुलिस और प्रशासन की
आधिकारिक पुष्टि के बिना
सभी विवरणों को अंतिम
रूप से प्रमाणित नहीं माना
जा सकता । सुस्का व्यवस्था
कड़ी, यातायात प्रभावित होने की
सूचना प्रदर्शन की अनुमति और
कानून-व्यवस्था से जुड़ी विताओं
को पुलिस की कार्रवाई का आधार
बताया गया है । राजधानी के कुछ
हिस्सों में सुरक्षा बलों की तैनाती
बढ़ाए जाने तथा प्रदर्शन स्थल की
ओर जाने वाले रास्तों पर प्रतिबंध
लगाए जाने की जानकारी भी सामने



आई है। इससे यातायात और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर असर पड़ने की बात कही गई है। ऐसी



परिस्थितियों में प्रशासन के लिए कानून-व्यवस्था बनाए रखना महत्वपूर्ण है, वहीं नागरिकों को यातायात प्रविधियों और सार्वजनिक परिवहन में संभावित बदलावों की समय पर जानकारी देना भी जरूरी है। मतदाता सूची की पारदर्शिता पर हदस SIR को लेकर उठे सवालों ने निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता,

मतदाता अधिकारों और राजनीतिक दलों के बीच भरोसे से जुड़े मुद्दों को फिर चर्चा में ला दिया है। विपक्षी

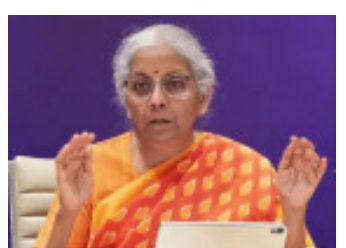
जन्मेदारी है। ऐसे मामलों में कार्याई का औचित्य, हिरासत की परिस्थितियाँ और लागू कानूनी प्रावधान तथ्यों के आधार पर स्पष्ट किए जाने चाहिए। निष्पक्ष जांच और आधिकारिक स्पष्टीकरण जरूरी मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। इसलिए SIR से संबंधित किसी भी शिकायत का समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष निस्तारण आवश्यक है। निर्वान आयोग को उठाई गई आपत्तियों पर तथ्यात्मक स्पष्टीकरण देना चाहिए, जबकि प्रशासन को हिरासत और प्रतिबंधों के संबंध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। लोकतंत्र में विरोध और असहमति के लिए स्थान होना जेतना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि राजनीतिक आरोपों, पुलिस कार्रवाई और निर्वान प्रक्रिया से जुड़े दावों की पुष्टि विश्वसनीय स्रोतों से हो। आधिकारिक पक्ष और स्वतंत्र पक्ष के आधार पर ही इस घटनाक्रम की पूरी तस्वीर सामने आ सकेगी।

इलेक्ट्रिक कैंब और रेंटल सेवाओं पर 5% जीएसटी का प्रस्ताव, किराये में राहत की उम्मीद

भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर 2026
ओला-उबर जैसी ऐप आधारित कंपनी सेवाओं और इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी रेंटल सेवाओं के लिए आने वाले समय में किराये में राहत की संभावना बन सकती है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए दी जाने वाली यात्री परिवहन सेवाएँ चालक सहित वाहन किराये की सेवाओं पर 5 प्रतिशत जीएसटी का विकल्प देने की सिफारिश की है। हालाँकि, इस दर का लाभ लेने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पर कुछ प्रतीति लागू होंगे। बैटरी चार्जिंग की लागत को किराये में शामिल करना होगा। प्रस्ताव के अनुसार, रियायती जीएसटी दर का लाभ उन्हीं यात्र सेवाओं को मिल सकेगा, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहन जरिए यात्रियों को परिवहन सुविधा दी जाती है या चालक सहित वाहन किराये पर उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए बैटरी चार्जिंग की लागत को ग्राहक से वसूली जाने वाली कल

राशि में शामिल करना जरूरी होगा। यह प्रस्ताव इलेक्ट्रिक वाहनों के व्यावसायिक इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने और उनसे जुड़ी परिवहन सेवाओं की कर व्यवस्था को स्पष्ट बनाने की



दिशा में अहम माना जा रहा है। इससे इलेक्ट्रिक कैब संचालकों, वाहन बेड़े का संचालन करने वाली कंपनियों और रेंटल सेवा प्रदाताओं को अपने कारोबार की लागत तथा कर संबन्धी योजना बनाने में मदद मिल सकती है। आईटीसी पर प्रतिक्रिया, कारोबारियों को करना होगा हिसाब इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी के तहत कारोबारी अपने व्यवसाय से जुड़े पात्र खर्चों पर चुकाए गए जीएसटी का क्रेडिट लेकर अपनी कर देनदारी कम कर सकते हैं। प्रस्तावित 5 प्रतिशत दर के साथ

इस सुविधा पर प्रतीबंध रहने के कारण सेवा प्रदाताओं को दर चुनते समय अपनी लागत और उपलब्ध कर फ्रेंडली का आकलन करना होगा। क्या यात्रियों को किराया घटोटा? जीएसटी की दर कम होने का विकल्प मिलने से इलेक्ट्रिक कैब और रेंटल सेवाओं की कीमतों पर सकारात्मक असर पड़ेगा की उम्मीद है, लेकिन इससे किराया तत्काल कम होना तथा नहीं है। सार्वजनिक राहत इस बात पर निर्भर करेगी कि सेवा प्रदाता कर में होने वाले बदलाव का लाभ ग्राहकों तक की किराया हद तक पहुंचाते हैं। वाहन संचालन, रखरखाव, चार्जिंग और अन्य व्यावसायिक खर्च भी अंतिम किराये को प्रभावित करेंगे। फिलहाल यह जीएसटी परिषद की सिफारिश है कि लागू हो चुका अंतिम नियम नहीं इसलिए यात्रियों और सेवा प्रदाताओं को अंतिम अपेक्षित तथा लागू होने की तारीख से जुड़ी आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना होगा। यह प्रस्ताव इलेक्ट्रिक वाहनों से मिलने वाला पत्र परिवहन और रेंटल सेवाओं के लिए है।

सम्पादकीय

कमजोर मानसून की चुनौती:किसान की

आय और खाद्य सुरक्षा कैसे बचेगी ?

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व केवल खेतों में उगने वाली फसलों तक सीमित नहीं है। यह करोड़ों परिवारों की आजीविका, ग्रामीण बाजारों की मांग और देश की खाद्य सुरक्षा का आधार है। ऐसे में जब मानसून कमजोर रहता है, तो उसका असर खेतों से निकलकर किसान की आमदनी, ग्रामीण रोजगार, खाद्य पदार्थों की कीमतों और अंततः आम आदमी की रसोई तक पहुंचता है। वर्ष 2026 का मानसून इसी चुनौती की ओर संकेत कर रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष जून से सितंबर के बीच देश में दीर्घकालिक औसत की तुलना में लगभग 12.6 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई। हालांकि, वर्षा की कमी सभी क्षेत्रों में समान नहीं रही; दक्षिणी प्रायद्वीप और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में कमी अधिक गंभीर रही। यह स्थिति केवल मौसमी चिंता नहीं, बल्कि कृषि नीति, जल प्रबंधन और खाद्य आपूर्ति व्यवस्था की परीक्षा है।



सवाल यह है कि जब बारिश का भरोसा कमजोर हो, तब किसान की आय को कैसे सुरक्षित रखा जाए और देश में खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता तथा कीमतों को स्थिर कैसे रखा जाए? भारत की खेती का बड़ा हिस्सा अब भी वर्षा पर निर्भर है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद अनेक क्षेत्रों में बुवाई, फसल की वृद्धि और उत्पादन का स्तर बारिश की मात्रा तथा उसके समय पर निर्भर करता है। मानसून देर से पहुंचे, बीच में लंबा शुष्क अंतराल आ जाए या वर्षा असमान रूप से हो, तो किसानों को बुवाई में देरी, दोबारा बीज डालने और अतिरिक्त सिंचाई पर खर्च जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसका प्रभाव धान, दालों, तिलहन और दूसरी खरीफ फसलों के उत्पादन पर पड़ सकता है। हालांकि, वास्तविक नुकसान का आकलन फसल, जिले, मिट्टी की नमी, सिंचाई की उपलब्धता और स्थानीय वर्षा के आधार पर ही किया जाना चाहिए। पूरे देश की स्थिति को केवल औसत वर्षा के आंकड़े से समझना पर्याप्त नहीं है। कमजोर मानसून का असर खरीफ फसलों के बाद रबी की बुवाई पर भी पड़ सकता है। जलाशयों में कम पानी, मिट्टी में नमी की कमी और भूजल पर बढ़ता दबाव गेहूं, चना, सरसों जैसी फसलों की खेती को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए मौजूदा स्थिति में केवल खरीफ फसल के नुकसान पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं होगा; आगामी रबी मौसम की तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। अल नीनो की आशंका और जल प्रबंधन की जरूरत अल नीनो प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में समुद्री सतह के तापमान से जुड़ी एक जलवायु घटना है, जो वैश्विक मौसम प्रणालियों को प्रभावित कर सकती है। भारत में अल नीनो की परिस्थितियां कई बार कमजोर मानसून से जुड़ी रही हैं, लेकिन हर अल नीनो वर्ष में वर्षा का परिणाम एक जैसा नहीं होता। इसलिए कृषि संबंधी निर्णय केवल आशंका के आधार पर नहीं, बल्कि मौसम पूर्वानुमान, स्थानीय परिस्थितियों और उपलब्ध जल संसाधनों के आकलन पर होने चाहिए। कमजोर वर्षा के समय जल संरक्षण की अहमियत और बढ़ जाती है। खेतों में वर्षाजल संचयन, तालाबों और छोटे जलाशयों का पुनर्जीवन, चेक डैम का निर्माण, सूक्ष्म सिंचाई तथा भूजल पुनर्भरण जैसे उपाय लंबे समय में किसानों की निर्भरता को कम कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में पानी सीमित है, वहां कम अवधि में तैयार होने वाली और कम पानी मांगने वाली फसलों को बढ़ावा देना उपयोगी हो सकता है। कृषि विशेषज्ञों, मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय भी आवश्यक है, ताकि किसानों को समय पर यह जानकारी मिल सके कि किस क्षेत्र में कौन—सी फसल और बुवाई का कौन—सा विकल्प अधिक व्यावहारिक होगा। किसान की आय बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता फसल खराब होने का अर्थ केवल उत्पादन में कमी नहीं है। किसान ने बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी, डीजल और सिंचाई पर जो खर्च किया होता है, उसका बड़ा हिस्सा उसकी आमदनी पर निर्भर करता है। यदि उत्पादन घट जाए और बाजार में उचित मूल्य भी न मिले, तो किसान की आर्थिक स्थिति दोहरी मार झेलती है। ऐसे समय में फसल बीमा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, नुकसान का समयबद्ध आकलन और पात्र किसानों को राहत का शीघ्र भुगतान महत्वपूर्ण हो जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण उपलब्धता बनाए रखना और गंभीर नुकसान की स्थिति में नियमानुसार ऋण पुनर्गठन पर विचार करना भी जरूरी है।



भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

लोकतंत्र केवल चुनाव कराने, सरकार चुनने और सत्ता हस्तांतरण की व्यवस्था का नाम नहीं है। उसकी वास्तविक शक्ति नागरिकों के विश्वास, संस्थाओं की निष्पक्षता, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और असहमति को सम्मान देने में निहित है। जब मतदाता सूची की शुद्धता पर सवाल उठते हैं खबरें सामने आईं। पुलिस ने प्रदर्शन को पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, तब बहस किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं रहती। वह लोकतांत्रिक व्यवस्था की विस्मयनीयता और नागरिक स्वतंत्रता की बुनियाद तक पहुंच जाती है। हाल के दिनों में मतदाता सूची के विशेष



भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है, जहां इंटरनेट की पहुंच केवल मोबाइल टावरों और भूमिगत फाइबर नेटवर्क तक सीमित नहीं रहेगी। अंतरिक्ष में स्थापित उपग्रह दूरदराज के गांवों, पहाड़ी क्षेत्रों, द्वीपों और सीमावर्ती इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाने का नया माध्यम बन सकते हैं। इसी संभावना ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को लेकर प्रतिस्पर्धा तेज कर दी है। एलन मस्क की स्टारलिनक, भारतीय समूह समर्थित यूटेलसैट वनवेब और रिलायंस जियो जैसी कंपनियां इस क्षेत्र में अपनी भूमिका मजबूत करने की तैयारी कर रही हैं। दूसरी ओर, सेवाओं की मंजूरी, स्पेक्ट्रम शुल्क, सुरक्षा मानकों और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को लेकर बहस भी तेज हुई है। हाल के दिनों में स्टारलिनक की भारत में व्यावसायिक शुरुआत को लेकर एलन मस्क और भारतीय दूरसंचार विवस्था के बीच सार्वजनिक बयानबाजी चर्चा में रही। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट किया है

मतदाता सूची पर भरोसा और विरोध का

गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) को लेकर राजनीतिक दलों और नागरिक समूहों की ओर से सवाल उठाए गए हैं। 10 अक्टूबर को दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित विरोध—प्रदर्शन के दौरान तुणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य सूची की शुद्धता पर सवाल उठते हैं और विरोध दर्ज कराने वाले नागरिकों को पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, तब बहस किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं रहती। वह लोकतांत्रिक व्यवस्था की विस्मयनीयता और नागरिक स्वतंत्रता की बुनियाद तक पहुंच जाती है। हाल के दिनों में मतदाता सूची के विशेष

कि किसी भी कंपनी को सुरक्षा और नियामकीय शर्तें पूरी किए बिना सेवा शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार का कहना है कि बाजार में किसी एक कंपनी का एकाधिकार स्वीकार नहीं किया जाएगा और उपभोक्ताओं को विकल्प मिलना चाहिए। यह विवाद केवल दो उद्योगपतियों या कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा का मामला नहीं है। इसके केंद्र में एक बड़ा प्रश्न है क्या भारत सैटेलाइट इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल सुविधाओं का विस्तार इस तरह कर सकता है कि उसका लाभ आम नागरिक तक पहुंचे और बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी बनी रहे? डिजिटल पहुंच का नया रास्ता भारत ने मोबाइल इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं के विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति की है। फिर भी देश के कुछ दुर्गम क्षेत्रों में तेज और भरोसेमंद इंटरनेट पहुंचाना चुनौती बना हुआ है। पहाड़ी बस्तियों, दूरस्थ गांवों, समुद्री द्वीपों और सीमावर्ती क्षेत्रों में पारंपरिक नेटवर्क स्थापित करने की लागत अधिक हो सकती है। ऐसे स्थानों पर सैटेलाइट इंटरनेट उपयोगी

संपादकीय

जाए। मतदाता सूची की शुद्धता क्यों जरूरी? मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला है। इसी सूची के माध्यम से तय होता है कि कौन नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम गलती से सूची से हट जाता है, तो उसका केवल एक प्रशासनिक अधिकार प्रभावित नहीं होता, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उसकी भागीदारी भी बाधित होती है। इसके विपरीत, अपात्र या दोहरी प्रविष्टियों को हटाना भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर का उद्देश्य पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना और अपात्र प्रविष्टियों को रोकना बताया है। आयोग की आधिकारिक जानकारी में नए मतदाता के पंजीकरण के लिए फॉर्म—6, सूची में दर्ज विवरणों में सुधार के लिए फॉर्म—8 तथा निर्धारित परिस्थितियों में नाम हटाने पर आपत्ति के लिए फॉर्म—7 जैसी प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं। आयोग की जिम्मेदारी केवल सूची संशोधित करने तक सीमित नहीं हो सकती; यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि प्रक्रिया पारदर्शी हो नागरिकों को पर्याप्त जानकारी मिले और किसी पात्र मतदाता को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। विशेष पुनरीक्षण जैसी व्यापक प्रक्रिया में प्रवासी श्रमिकों, गरीब परिवारों बुजुर्गों, विद्यार्थजनों और दस्तावेज जुटाने में कठिनाई का सामना करने वाले नागरिकों की स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रशासनिक सुविधा के नाम पर ऐसी प्रक्रिया नहीं बननी चाहिए, जिसमें वास्तविक पात्रता रखने

सैटेलाइट इंटरनेट की दौड़:डिजिटल भारत को मिलेगी नई उड़ान या

विकल्प बन सकता है। पृथ्वी की कक्षा में स्थापित उपग्रहों के माध्यम से इंटरनेट संकेत सीधे विशेष उपकरणों तक पहुंचाए जा सकते हैं। इससे उन इलाकों में भी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की संभावना बनती है, जहां मोबाइल टावर या फाइबर नेटवर्क बिछना कठिन है। शिक्षा, टेलीमैडिसिन, डिजिटल भुगतान, ई-गवर्नेंस, आपदा प्रबंधन और कृषि संबंधी जानकारी जैसी सेवाओं को इससे सहायता मिल सकती है। प्राकृतिक आपदा के समय जब सड़क, बिजली या स्थलीय तारक नेटवर्क बाधित हो जाते हैं तब सैटेलाइट आधारित संचार वैकल्पिक संपर्क उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि, इसकी उपयोगिता उपकरणों की उपलब्धता, सेवा की लागत, नेटवर्क क्षमता और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। स्टारलिनक बनाम जियो और वनवेबरू प्रतिस्पर्धा का असली प्रश्न भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर प्रतिस्पर्धा के बीच स्टारलिनक की व्यावसायिक शुरुआत और नियामकीय मंजूरियां पर बहस विशेष रूप से सामने आई है।

वाला व्यक्ति केवल जानकारी के अभाव या तकनीकी कठिनाई के कारण अपने मताधिकार से वंचित हो जाए। पारदर्शिता से ही दूर होगा संदेह मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगना और उनका प्रमाणित होना दो अलग—अलग बातें हैं। किसी भी आरोप को जांच से पहले अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं है। उसी तरह, सवाल उठाने वालों को बिना पर्याप्त तथ्य के राजनीतिक मंशा से प्रेरित बताकर खारिज कर देना भी समस्या का समाधान नहीं है। निर्वाचन आयोग इस विश्वास को मजबूत करने का सबसे प्रभावी तरीका है स्पष्ट नियम, सार्वजनिक जानकारी, समयबद्ध शिकायत निवारण और गलतियों को सुधारने की विव्सनीय व्यवस्था। जहां नाम हटाने या जोड़ने को लेकर विवाद हो, वहां संबंधित व्यक्ति को कारण जानने, अपना पक्ष रखने और निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपील करने का वास्तविक अवसर मिलना चाहिए। राजनीतिक दलों को भी केवल आरोप लगाने तक सीमित रहने के बजाय ठोस उदाहरण और दस्तावेज सामने रखने चाहिए। इससे शिकायतों की निष्पक्ष जांच संभव होगी और निराधार दावों की पहचान भी की जा सकेगी। लोकतंत्र में संस्थाओं की प्रतिष्ठा सवालों को दबाने से नहीं, बल्कि सवालों का जवाब देने से बढ़ती है। विरोध का



मस्क ने आरोप लगाया है कि कुछ प्रभावशाली कारोबारी भारत में स्टारलिनक की शुरुआत में बाधा डाल रहे हैं। इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने सार्वजनिक रूप से दावे किए हैं, लेकिन किसी कंपनी द्वारा अनुचित हस्तक्षेप किए जाने को स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता। सरकार ने पक्षपात के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सभी कंपनियों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। इस मामले में आवश्यक है कि आरोपों और प्रमाणित तथ्यों के बीच अंतर रखा जाए। किसी विदेशी कंपनी को बाजार में प्रवेश देने या रोकने का निर्णय केवल कारोबारी प्रतिस्पर्धा के आधार पर नहीं हो सकता।

अधिकार और कानून—व्यवस्था की सीमा भारतीय संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार एकत्र होने का अधिकार देता है। ये अधिकार लोकतंत्र को जीवंत बनाते हैं। नागरिकों को सरकार, प्रशासन और संवैधानिक संस्थाओं के निर्णयों पर सवाल उठाने तथा अपनी असहमति व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए। हालांकि, ये अधिकार कानून के अधीन हैं और सार्वजनिक व्यवस्था तथा अन्य संवैधानिक सीमाओं के अनुरूप प्रयोग किए जाते हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। बड़े प्रदर्शनों के दौरान यातायात, सार्वजनिक सुख्सा और आवश्यक सेवाओं को अवरुध्द कर दिया जा सकता है। लेकिन ऐसे प्रतिबंध स्पष्ट कारणों पर आधारित, आवश्यक और परिस्थिति के अनुपात में होने चाहिए। केवल असहमति या आलोचना को व्यवस्था के लिए खतरा मान लेना स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के अनुकूल नहीं है। दिल्ली में हालिया कार्रवाई का आकलन करते समय यही कसौटी अपनाई जानी चाहिए। यह देखना जरूरी है कि प्रदर्शन की अनुमति संबंधी निर्णय किन आधारों पर लिए गए, हिरासत की कार्रवाई कानून के अनुरूप थी या नहीं और क्या नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के पर्याप्त अवसर मिले। किसी भी पक्ष के आरोपों को जांच के बिना निर्णायक निष्कर्ष नहीं बनाया जाना

सैटेलाइट इंटरनेट की दौड़:डिजिटल भारत को मिलेगी नई उड़ान या

राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा संरक्षण, स्पेक्ट्रम प्रबंधन और दूरसंचार नियमों का पालन भी अनिवार्य है। लेकिन नियमों का पालन सभी कंपनियों के लिए समान, पारदर्शी और समयबद्ध होना चाहिए। यदि किसी कंपनी को आवश्यक मंजूरी मिलने में देरी होती है, तो सरकार को उसके कारण स्पष्ट करने चाहिए। इसी तरह, किसी कंपनी को केवल विदेशी होने या किसी प्रतिस्पर्धी से अलग तकनीक अपनाने के कारण अनुचित लाभ या नुकसान नहीं मिलना चाहिए। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का अर्थ यह है कि सभी पात्र कंपनियों को समान नियमों के तहत अवसर मिले। जियो की योजना और स्वदेशी क्षमता का महत्व सैटेलाइट इंटरनेट की दौड़ में भारतीय कंपनियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। रिलायंस जियो ने अक्टूबर 2026 में लगभग 1,600 निम्न पृथ्वी कक्षा वाले उपग्रहों और 23 ग्राउंड स्टेशनों की योजना को लेकर चर्चा की है। कंपनी का लक्ष्य पारंपरिक नेटवर्क से वंचित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी का विस्तार करना है। भारत के लिए यह अवसर

चाहिए। राजनीति से ऊपर होना चाहिए जनहित मतदाता सूची का विवाद यदि केवल सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोप—प्रत्यारोप का विषय बनकर रह गया, तो सबसे अधिक नुकसान आम नागरिक का होगा। चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा सभी राजनीतिक दलों और नागरिकों के हित में है। आज सत्ता में बैठा दल कम विपक्ष में हो सकता है; इसलिए निष्पक्ष चुनाव और पारदर्शी मतदाता सूची किसी एक दल की सुविधा नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र की आवश्यकता है। सत्तापक्ष को आलोचना का जवाब तथ्यों और संस्थागत पारदर्शिता से देना चाहिए। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह प्रमाणों के आधार पर सवाल उठाए और नागरिकों को भ्रमित करने वाले अयुष्ट दावों से बचे। निर्वाचन आयोग को शिकायतों पर निष्पक्ष कार्रवाई कर यह स्पष्ट करना चाहिए कि पात्र मतदाता का नाम सुरक्षित रखने और गलत प्रविष्टियों को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन को भी राजनीतिक परिस्थितियों से अलग रहकर कानून का समान रूप से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। मीडिया की भूमिका भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। उसे सनसनी या राजनीतिक बयानबाजी को बढ़ावा देने के बजाय आरोप, आधिकारिक स्पष्टीकरण और सत्यापित तथ्यों के बीच स्पष्ट अंतर रखना चाहिए। नागरिकों को भी किसी वायरल संदेश या राजनीतिक दावे पर विश्वास करने से पहले उसकी प्रामाणिकता जांचनी चाहिए।

सैटेलाइट इंटरनेट की दौड़:डिजिटल भारत को मिलेगी नई उड़ान या

है कि वह केवल विदेशी तकनीक का उपभोक्ता बनकर न रहे, बल्कि उपग्रह निर्माण, संचार उपकरणों, ग्राउंड स्टेशनों और संबंधित सेवाओं के क्षेत्र में घरेलू क्षमता भी विकसित करे। इससे तकनीकी कोशल, रोजगार और नवाचार को प्रोत्साहन मिल सकता है। हालांकि, किसी भी योजना की सफलता का आकलन घोषणाओं से नहीं, बल्कि उसके क्रियान्वयन, लागत, सेवा की गुणवत्ता और वास्तविक उपयोगकर्ता लाभ से होना चाहिए। विदेशी कंपनियों के प्रवेश और भारतीय कंपनियों के विकास को परस्पर विरोधी मानना भी उचित नहीं है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से तकनीकी सुधार, बेहतर सेवा और कीमतों में कमी की संभावना बढ़ सकती है। इसके लिए बाजार में प्रवेश के नियम निष्पक्ष होने चाहिए और किसी भी कंपनी को अनुचित लाभ नहीं मिलना चाहिए। महंगे उपकरण और सेवा शुल्क आम आदमी तक पहुंचेगा लाभ? सैटेलाइट इंटरनेट की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक इसकी लागत है।

रेपो दर में बढ़ोतरी:महंगाई पर लगाम या कर्जदारों पर नई मार?

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com महंगाई जब रसोई का बजट बिगाड़ने लगे, पेट्रोल—डीजल महंगे होने लगे और आम परिवार की बचत पर दबाव बढ़ने लगे, तब भारतीय रिजर्व बैंक को मॉड्रिक नीतिगत फैंसले का महत्व बढ़ जाता है। ऐसे समय में रेपो दर में बढ़ोतरी केवल बैंकिंग क्षेत्र तक सीमित निर्णय नहीं रहती, बल्कि उसका प्रभाव घर खरीदने वालों, वाहन ऋण लेने वालों, छोटे कारोबारियों, किसानों और सामान्य उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 अक्टूबर 2026 को रेपो दर में 0.25 प्रतिशत अंक की वृद्धि कर इसे 5.50 प्रतिशत कर दिया। महंगी ऊर्जा, खाद्य कीमतों में संभावित तेजी और कमजोर मानसून से जुड़ी चिंताओं के बीच लिया गया यह निर्णय महंगाई पर नियंत्रण की कोशिश है, लेकिन इसके साथ आम आदमी की वित्तीय चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं। महंगाई की चुनौती और आरबीआई का फैंसलारेपो दर वह ब्याज दर है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उपलब्ध कराता है। जब केंद्रीय बैंक इस दर में वृद्धि करता है, तो बैंकों के लिए धन जुटाने की लागत

बढ़ सकती है। इसका असर आगे चलकर ऋण की ब्याज दरों पर पड़ सकता है। हालांकि, यह असर हर बैंक और प्रत्येक ऋण पर समान या तत्काल नहीं होता। बैंक अपनी लागत, प्रतिस्पर्धा, ऋण की शर्तों और अन्य वित्तीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेते हैं। रेपो दर बढ़ाने के पीछे प्रमुख चिंता महंगाई का दबाव है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के बड़े हिस्से के लिए आयात पर निर्भर है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से परिवहन, उत्पादन और वितरण की लागत पर असर पड़ सकता है। इसका प्रभाव खाद्य वस्तुओं से लेकर रोजमर्रा की अनेक आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर, कमजोर मानसून या वर्षा के असमान वितरण से कृषि उत्पादन प्रभावित होने की आशंका रहती है। यदि खाद्य आपूर्ति घटती है और मांग बनी रहती है, तो कीमतें बढ़ सकती हैं। आरबीआई के सामने चुनौती यह है कि महंगाई को नियंत्रित किया जाए, लेकिन ऐसा करते समय आर्थिक गतिविधियों की गति भी अनावश्यक रूप से कमजोर न पड़े। ईएमआई बढ़ी तो घरेलू बजट पर दबाव रेपो दर में वृद्धि का सबसे प्रत्यक्ष असर उन कर्जदारों पर पड़



से ही महंगाई का सामना कर रहे परिवारों के लिए यह अतिरिक्त बोझ साबित हो सकता है। गृह ऋण लेने वाले मध्यमवर्गीय परिवारों के सामने अक्सर सीमित आय में मकान की किस्त, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य खर्च, बीमा और दैनिक जरूरतों को पूरा करने की चुनौती रहती है। यदि मासिक किस्त बढ़ती है, तो परिवार को अन्य खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है। वाहन ऋण लेने वाले उपभोक्ताओं और कारोबार के लिए ईएमआई बढ़ी तो घरेलू बजट पर दबाव रेपो दर में वृद्धि का सबसे प्रत्यक्ष असर उन कर्जदारों पर पड़ सकता है। हालांकि, यह मान

लेना सही नहीं होगा कि रेपो दर में प्रत्येक वृद्धि के साथ सभी ऋणों की ब्याज दर बढ़ाते हैं, तो गृह ऋण, वाहन ऋण और कुछ अन्य ऋणों की ईएमआई बढ़ सकती है या ऋण चुकाने की अवधि लंबी हो सकती है। पहले अपने ऋण समझौते की शर्तों को समझना और ब्याज दर में बदलाव के लिए कर्ज महंगा हो सकता है। की जानकारी बैंक से लेना आवश्यक है। बचत करने ब्याज दरों में वृद्धि का एक दूसरा पहलू भी है। यदि बैंक अपनी जमा योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ाते हैं, तो सावधि जमा करने वालों को बेहतर प्रतिफल मिल सकता है। विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों और परिवारों के लिए यह उपभोक्ताओं और कारोबार के लिए नियमित आय का बड़ा हिस्सा बैंक जमा से मिलने वाले ब्याज पर निर्भर है। लेकिन यहां भी सावधानी जरूरी

है। रेपो दर बढ़ने का अर्थ यह नहीं है कि सभी बैंक तुरंत और समान अनुपात में जमा पर ब्याज बढ़ा देंगे। अलग—अलग बैंकों की नीतियां और योजनाओं की शर्तें अलग हो सकती हैं। इसलिए बचतकर्ताओं को केवल ऊंची ब्याज दर देखकर निर्णय लेने के बजाय जमा की अवधि, समय से पहले निकाली की शर्तें और अपनी जरूरतों को भी ध्यान में रखना चाहिए। आर्थिक विकास और रोजगार का सवाल महंगाई पर नियंत्रण जरूरी है, लेकिन अर्थव्यवस्था में मांग, निवेश और रोजगार को बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ब्याज दरें बढ़ने से कंपनियां और छोटे कारोबारियों के लिए कर्ज महंगा हो सकता है। यदि उनकी वित्तीय लागत बढ़ती है, तो वे नए निवेश, विस्तार या अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती के फैसले डाल सकते हैं। इसका असर रोजगार सृजन और बाजार में मांग पर पड़ सकता है। दूसरी ओर, लगातार बढ़ती महंगाई भी अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। जब खाद्य पदार्थों ईंधन और जरूरी सेवाओं की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, तो लोगों की वास्तविक क्रय शक्ति घटती है। उपभोक्ता कम खरीदारी करते हैं और कारोबारियों की विक्री प्रभावित हो

सकती है। इस तरह महंगाई और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाना केंद्रीय बैंक के लिए कठिन, लेकिन अनिवार्य जिम्मेदारी है। रेपो दर बढ़ाने से महंगाई पर नियंत्रण का असर तत्काल नहीं दिखाई देता। मौद्रिक नीति का प्रभाव अर्थव्यवस्था के रुझान से किया जाना चाहिए। केवल ब्याज दर से नहीं सुलझेंगी महंगाई महंगाई के सभी कारण मौद्रिक नीति के नियंत्रण में नहीं होते। यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, कृषि उत्पादन प्रभावित होता है या आपूर्ति व्यवस्था में बाधाएं आती हैं, तो केवल ब्याज दर बढ़ाकर इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। इसके लिए सरकार और संबंधित संस्थाओं को भी प्रभावी कदम उठाने होंगे। कृषि क्षेत्र में सिंचाई, जल संरक्षण, भंडारण और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता पर निगरानी, जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई और परिवहन

पर काम करना चाहिए, बैंकों को ग्राहकों को ब्याज दरों में बदलाव में मदद कर सकते हैं। सरकार को यह भी देखना होगा कि कमजोर आय वाले परिवारों पर आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों का असमान रूप से अधिक बोझ न पड़े। आरबीआई को भी महंगाई और विकास से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करते हुए आगे के निर्णय लेने चाहिए। मौद्रिक नीति में पारदर्शिता और स्पष्ट संवाद से बाजार, कर्ज, निवेश और आर्थिक गतिविधियों को सहारा देने की दोहरी भविष्य की परिस्थितियों के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद मिल सकती है। संपादकीय दृष्टिकोण: मौद्रिक नीति के नियंत्रण में नहीं बढ़ोतरी को न तो हर समस्या का समाधान मानना उचित है और न ही इसे केवल कर्जदारों पर बोझ डालने वाला कदम कहकर खारिज करना। केंद्रीय बैंक के सामने कीमतों को स्थिर रखने और आर्थिक गतिविधियों को सहारा देने की दोहरी जिम्मेदारी है। लेकिन इस संतुलन की वास्तविक सफलता तभी मानी जाएगी, जब महंगाई का दबाव कम हो, आम नागरिक की क्रय शक्ति सुरक्षित रहे और रोजगार तथा निवेश पर प्रतिकूल असर सीमित रहे। सरकार को आपूर्ति संबंधी समस्याओं

इंदिरा कैंटीन में मेन्यू की अनदेखी पर सख्त हुए के.एन. रमेश, एजेंसी को नोटिस और जुर्माने के निर्देश



भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 10 अक्टूबर 2026। बेंगलुरु साउथ सिटी कॉर्पोरेशन के आयुक्त के. एन. रमेश ने शनिवार को जयनगर पब्लिक हॉस्पिटल परिसर स्थित इंदिरा कैंटीन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन उपलब्ध नहीं कराने, सफाई व्यवस्था में कमी और लोगों की शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं किए जाने के मामले सामने आए। आयुक्त ने

कहा। निर्धारित मेन्यू के बजाय केवल बीसी बेले बाथ की आपूर्ति कॉर्पोरेशन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, शनिवार के निर्धारित मेन्यू में चावल, सांभर, पल्या और खीर (पायसा) शामिल थे। हालांकि, कैंटीन का संचालन करने वाली अनुबंधित एजेंसी रिवॉइर्स ने केवल बीसी बेले बाथ उपलब्ध कराया। आयुक्त ने बताया कि पिछले चार से पांच दिनों से मेन्यू के उल्लंघन की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। उन्होंने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को संबंधित एजेंसी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। एजेंसी को नोटिस, जुर्माना और भुगतान में कटौती करने के निर्देश दिए। पट्टाभिरामनगर वार्ड में स्थित इस कैंटीन के निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता, खाद्य सामग्री के भंडार और भोजन वितरण व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण में निर्धारित मेन्यू के पालन में लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जवाबदेही सुनिश्चित करने को

दिए। आयुक्त की कार्रवाई का उद्देश्य कैंटीन में निर्धारित मानकों के अनुरूप भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करना और अनुबंध की शर्तों का पालन कराना है। शिकायतों की अनदेखी पर अधिकारियों को चेतावनी निरीक्षण के दौरान आयुक्त से शिकायत रजिस्टर की जांच की। इसमें लोगों ने भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई से जुड़ी समस्याएं दर्ज कराई थीं। उन्होंने कैंटीन पर्यवेक्षकों के कामकाज पर भी नाराजगी जताई। आयुक्त के अनुसार, शिकायतों के समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को औपचारिक लिखित रिपोर्ट देने के बजाय केवल मोबाइल संदेश भेजे जा रहे थे। उन्होंने इस कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताते हुए कॉर्पोरेशन के स्वास्थ्य अधिकारी से फोन पर बात की और शिकायतों की अनदेखी करने वाले जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि गरीबों और अस्पताल आने वाले मरीजों को पौष्टिक, गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराना

सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस उद्देश्य की पूर्ति में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। कैंटीन परिसर में सीवेज ओवरफ्लो, तत्काल सुधार के निर्देश निरीक्षण के दौरान कैंटीन परिसर के भीतर एक जल निकासी चौंबर से गंदा पानी बाहर निकलता हुआ भी दिखाई दिया। आयुक्त ने संबंधित इंजीनियर से संपर्क कर समस्या का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ-सफाई और जल निकासी व्यवस्था को मरीजों तथा आम लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताते हुए प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान कॉर्पोरेशन के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और कैंटीन पर्यवेक्षक मौजूद रहे। आयुक्त की इस कार्रवाई से इंदिरा कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता, निर्धारित मेन्यू, स्वच्छता और शिकायत निवारण व्यवस्था को लेकर प्रशासन की जवाबदेही का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया है।

निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में उमड़े मरीज, महेंद्र मुणोत ने चिकित्सकों की सेवाओं को सराहा

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 10 अक्टूबर 2026। बेंगलुरु के श्रीरामपुरम स्थित गवर्नमेंट आयुर्वेदिक एंड यूनानी कॉलेज ग्रेजुएट



एसोसिएशन भवन के हिमालय समागार में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं औषधि वितरण शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि महेंद्र मुणोत ने दीप प्रज्वलित कर किया। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चले इस शिविर में बड़ी संख्या में मरीजों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया और निःशुल्क औषधियां प्राप्त कीं। छह घंटे तक चली स्वास्थ्य सेवा शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद

लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण और चिकित्सा परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराना था। निर्धारित समय के दौरान चिकित्सकों ने मरीजों की जांच की तथा आवश्यकतानुसार औषधियों का

संचालित विमलाबाई मोतीलाल मुणोत निःशुल्क डिस्पेंसरी का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां मरीजों को सेवाएं प्रदान करने वाले चिकित्सकों के कार्यों की सराहना की और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने चिकित्सकों की सेवा भावना को महत्वपूर्ण बताते हुए जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के प्रयासों के महत्व को रेखांकित किया। एसोसिएशन के पदाधिकारी और चिकित्सक रहे उपस्थित शिविर में एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. भारकर हालें, उपाध्यक्ष डॉ. सुरेश, डॉ.कृष्णमूर्ति और सचिव डॉ. मंजुला जगदीश सहित अन्य चिकित्सक उपस्थित रहे। चिकित्सकों और एसोसिएशन के सदस्यों ने शिविर के संचालन में सहयोग किया। इस आयोजन के माध्यम से निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, औषधि वितरण और चिकित्सा सेवा के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया गया। ऐसे शिविर जरूरतमंद मरीजों को समय पर परामर्श उपलब्ध कराने के साथ समाज में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाचार प्रेषक उपेन्द्र कुमार बेंगलुरु।

सातवें दुर्गा पूजन समारोह की तैयारियां पूरी, 11 अक्टूबर को कलश स्थापना से होगा शुभारंभ

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com संवाददाता अशोक कुमार सिंह बेंगलुरु, 10 अक्टूबर 2026। विश्व हिंदू धर्म रक्षक सेवा समिति की ओर से आयोजित सातवें दुर्गा पूजन समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समिति के सदस्यों और भक्तों के सहयोग से आयोजन की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं संपन्न कर ली गई हैं। समारोह का शुभारंभ रविवार, 11 अक्टूबर



को सुबह 9 बजे कलश स्थापना के साथ होगा। यह धार्मिक आयोजन 21 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। समिति की ओर से माता रानी के पूजन और समारोह को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आयोजन से जुड़े सदस्यों ने भक्तों के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। समारोह के दौरान श्रद्धालु मां दुर्गा की आराधना कर धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेंगे। विश्व हिंदू धर्म रक्षक सेवा समिति ने सभी श्रद्धालुओं से परिवार और मित्रों सहित समारोह में शामिल होने की अपील की है। समिति की ओर से भक्तों को सादर आमंत्रित करते हुए जय श्रीराम और जय माता दी के जयघोष के साथ धार्मिक आयोजन में सहभागिता का आह्वान किया गया है। समाचार प्रेषक जितेंद्र कुमार दुबे, बेंगलुरु।

कडूर में भारतीय जैन संगठन के नए चौप्टर का गठन, महावीर सुराणा और दिनेश लुक्कड़ को नेतृत्व

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com कडूर/शिमोगा, 10 अक्टूबर 2026। कर्नाटक के कडूर में भारतीय जैन संगठन (बीजेएस) के नए चौप्टर का गठन किया गया। इस अवसर पर आयोजित ‘बीजेएस मंथनदृ सामाजिक संवाद’ कार्यक्रम में जैन

सामाजिक कार्यों के लिए सामूहिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना था। नए चौप्टर का गठन संगठन की स्थानीय स्तर पर गतिविधियों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। महावीर सुराणा और दिनेश लुक्कड़ संभालेंगे नेतृत्व नवगठित बीजेएस

जोड़ने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारियों का मार्गदर्शन कार्यक्रम को भारतीय जैन संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गौतम बाफना, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष श्रवण दुग्गड़ और कर्नाटक प्रदेश महासचिव प्रकाश गुलेच्छा का मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। इस अवसर पर

नेलामंगला में 11 से 21 अक्टूबर तक गूंजेगी मां दुर्गा की महिमा, पांचवां शारदीय नवरात्र महोत्सव आज से

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com संवाददाता अशोक कुमार सिंह बेंगलुरु, 10 अक्टूबर 2026। बेंगलुरु के नेलामंगला क्षेत्र में मां दुर्गा की आराधना और भक्ति का वातावरण बनने जा रहा है। मां दुर्गा पूजा समिति की ओर से लगातार पांचवें वर्ष शारदीय नवरात्र एवं दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन 11 से 21 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा।

धार्मिक अनुष्ठानों, भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजे इस महोत्सव में श्रद्धालुओं को मां दुर्गा की पूजा-अर्चना और भक्ति संगीत का अवसर मिलेगा। महोत्सव का आयोजन श्री मारुति साईं धाम मंदिर परिसर, अरकमारनहल्ली बस स्टॉप के पास, तुमकुर रोड, बेंगलुरु में होगा। समिति ने श्रद्धालुओं से परिवार

सहित शामिल होकर मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की है। कलश स्थापना से होगा



महोत्सव का शुभारंभ महोत्सव की शुरुआत रविवार, 11 अक्टूबर को कलश स्थापना के साथ होगी। आयोजन के दौरान प्रतिदिन सुबह और शाम पूजा-अर्चना, आरती तथा महाप्रसाद की व्यवस्था रहेगी। वाराणसी के विद्वान आचार्यों द्वारा विधि-विधान से धार्मिक अनुष्ठान

संपन्न कराए जाएंगे। नवरात्र के दौरान मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कूष्मांडा, मां स्कंदमाता, मां कात्यायनी और मां कालरात्रि सहित देवी की विभिन्न स्वरूपों की आराधना की जाएगी। कार्यक्रम के अंतर्गत महाअष्टमी, महानवमी, हवन, कन्या पूजन और सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। 18 और 19 अक्टूबर को भजन संध्या के विशेष कार्यक्रम महोत्सव के प्रमुख आकर्षणों में बिहार के भजन गायक आकाश मिश्रा और गायिका नेहा निष्ठा की प्रस्तुतियां शामिल हैं। महाप्रसाद 18 और 19 अक्टूबर को शाम के समय भक्ति गीतों की प्रस्तुति देंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम

से श्रद्धालुओं को भक्ति संगीत का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। विजयादशमी पर प्रतिमा विसर्जन के साथ समापन समिति की योजना के अनुसार, 21 अक्टूबर, बुधवार को मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के साथ 11 दिवसीय महोत्सव का समापन होगा। पूरे आयोजन के दौरान धार्मिक परंपराओं, सामूहिक सहभागिता और सांस्कृतिक गतिविधियों पर विशेष जोर रहेगा। मां दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष राजेश तिवारी की अध्यक्षता में महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। आयोजन की जानकारी समिति के संस्थापक सदस्य नवीन सिंह ने दी। समिति ने श्रद्धालुओं, भक्तों और परिवारों को सादर आमंत्रित करते हुए अधिक से अधिक संध्या में पहुंचकर पूजा-अर्चना में भाग लेने की अपील की है।



समाज के 50 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम में सामाजिक एकता, आपसी सहयोग, शिक्षा, जनकल्याण और समाज के सर्वांगीण विकास से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के सदस्यों के बीच संवाद को बढ़ावा देना, विचारों का आदान-प्रदान करना और

शिमोगा रीजन ऑब्जर्वर गौतम विनायकिया, बीजेएस शिमोगा चौप्टर के अध्यक्ष प्रवीण सालेचा, मुख्य सचिव निखिल कोठारी, चिकमगलुरु के ईओजी ट्रेनर राजेश सिसोदिया तथा पुणे की बीजेएस टीम से अमित कुमार की विशेष उपस्थिति रही। सामाजिक एकता और जनकल्याण पर जोर कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों ने समाज

कडूर चौप्टर और उसके नेतृत्व को शुभकामनाएं दी गई। संगठन ने उम्मीद जताई कि यह नई पहल समाजहित के कार्यों को गति देने, जरूरतमंदों की सहायता करने और सकारात्मक सामाजिक बदलाव के प्रयासों को मजबूत बनाने में योगदान देगी। समाचार प्रेषक शांतिलाल साकरिया, शिमोगा।

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 10 अक्टूबर 2026। बेंगलुरु के गोविंदराज नगर में स्नेहा जीवी गेलेयारा बलेगा की ओर से गणेश उत्सव श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महेंद्र मुणोत ने भगवान गणपति के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने जरूरतमंद बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित की और अन्नदान कार्यक्रम में सहभागिता निभाकर सेवा कार्यों में योगदान दिया। समारोह के दौरान धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक सेवा को भी महत्व दिया गया। कार्यक्रम में गणेशोत्सव के धार्मिक वातावरण के बीच श्रद्धा, सामाजिक सहभागिता और सेवा भावना का संदेश प्रमुखता से सामने आया। गणेश उत्सव जैसे आयोजन धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाने में आपसी सहयोग और जरूरतमंदों की सहायता के भाव को मजबूत करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। समाचार प्रेषक उपेन्द्र कुमार बेंगलुरु।



‘ भीख दो, पुलिस को रिश्तत देनी है’ पोस्टर ने खींचा ध्यान, मां-बेटे ने बयां की मकान विवाद की पीड़ा

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
लुधियाना, 10 अक्टूबर 2026। पंजाब के लुधियाना में एक महिला

‘भीख दो, पुलिस को रिश्तत देनी है।’ महिला का आरोप है कि पति की मृत्यु के बाद उसके बेटे के नाम हुआ मकान रिश्तेदारों ने कथित

गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और मामले में पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने आना आवश्यक है। मकान विवाद से जुड़ा है मामला महिला के अनुसार, पति की मृत्यु के बाद मकान उसके बेटे के नाम हुआ था। आरोप है कि रिश्तेदारों ने धोखे से संपत्ति बेच दी, जिससे परिवार के सामने रहने और अपने अधिकारों की रक्षा करने का संकट खड़ा हो गया। महिला का दावा है कि उसने इस मामले में न्याय पाने के लिए पुलिस से संपर्क किया, लेकिन उसे कथित रूप से रिश्तत की

मांग का सामना करना पड़ा। इसी कथित अनुभव को सामने रखने के लिए मां-बेटे ने पोस्टर के जरिए लोगों का ध्यान आकर्षित किया। तस्वीर वायरल होने के बाद संपत्ति

विवाद और पुलिस व्यवस्था में जवाबदेही को लेकर चर्चा शुरू हो गई। वायरल पोस्टर ने उठाए गंभीर सवाल पोस्टर पर लिखे शब्द केवल एक परिवार की कथित परेशानी को ही नहीं, बल्कि न्याय पाने के लिए संघर्ष कर रहे कमजोर और जरूरतमंद लोगों की चुनौतियों की ओर भी ध्यान खींचते हैं। यदि किसी शिकायतकर्ता से वास्तव में रिश्तत मांगी जाती है, तो यह गंभीर मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही, सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर या किसी व्यक्ति के बयान को अपने आप में आरोपों का प्रमाण नहीं माना जा सकता। मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए संपत्ति के दस्तावेजों, शिकायत की प्रति और संबंधित पुलिस अधिकारियों के पक्ष की जांच जरूरी है। निष्पक्ष जांच से ही सामने आएगी सच्चाई ऐसे

मामलों में संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि शिकायतकर्ता की बात सुनी जाए और संपत्ति से जुड़े विवाद की कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जांच की जाए। यदि रिश्तत मांगने की पुष्टि होती है, तो दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं, संपत्ति के स्वामित्व और कथित बिक्री से जुड़े आरोपों का निपटारा दस्तावेजों एवं कानूनी साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए। लुधियाना की इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है कि न्याय की तलाश में भटक रहे जरूरतमंद नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने और कानूनी सहायता प्राप्त करने में कितनी आसानी उपलब्ध है। मामले में आधिकारिक जांच और संबंधित पक्षों का बयान सामने आने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
मुंबई, 10 अक्टूबर 2026। फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखते हुए नौवें सप्ताह की



कमाई में नया रिकॉर्ड कायम किया है। फिल्म ने नौवें सप्ताह में लगभग 10.60 करोड़ रुपये का शुद्ध घरेलू कारोबार किया और वर्ष 2022 में प्रदर्शित फिल्म ‘कांतारा’ के इसी अवधि के 2.55 करोड़ रुपये के

आंकड़े को पीछे छोड़ दिया। इस प्रदर्शन के साथ ‘हनुमान अंश’ भारतीय सिनेमा में नौवें सप्ताह की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है। नौवें सप्ताह में भी दर्शकों का मिल रहा

साथ आमतौर पर किसी फिल्म की कमाई रिलीज के शुरुआती सप्ताहों के बाद घटने लगती है, लेकिन ‘हनुमान अंश’ ने लंबे समय तक सिनेमाघरों में दर्शकों को आकर्षित किया है। फिल्म के नौवें सप्ताह में 10.60 करोड़ रुपये की कमाई करना उसके

निरंतर प्रदर्शन को दर्शाता है। इसकी तुलना में ‘कांतारा’ ने 2022 में अपने नौवें सप्ताह में 2.55 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। फिल्म की इस उपलब्धि ने बॉक्स ऑफिस पर लंबे समय तक टिके रहने वाली

गरबा वेशभूषा में सिगरेट और पिस्टलनुमा वस्तु का प्रदर्शन, वायरल रील पर 9 गिरफ्तार

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
बिलासपुर, 10 अक्टूबर 2026।



छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गरबा की पारंपरिक वेशभूषा में सिगरेट पीने और पिस्टलनुमा वस्तु का प्रदर्शन करते हुए बनाई गई एक रील सोशल

मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। मामले में पांच युवतियों सहित कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। प्रचार के लिए बनाया गया था वीडियो प्राप्त जानकारी के अनुसार, वायरल वीडियो में कुछ युवतियां गरबा की वेशभूषा में सिगरेट पीती और पिस्टल जैसी वस्तु हाथ में लेकर प्रदर्शन करती दिखाई देती हैं। बताया गया है कि वीडियो का इस्तेमाल गरबा टिकट और मेकअप के प्रचार-प्रसार के लिए किया गया था। इसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर

साझा किए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया। शिकायत के बाद पुलिस की कार्रवाई वीडियो को लेकर हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई और पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि वीडियो में धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं के विपरीत गतिविधियां प्रदर्शित की गई हैं, जिनसे युवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पुलिस ने शिकायत और उपलब्ध वीडियो के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196, 299 और 3(6) के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किए जाने की भी जानकारी दी है। पिस्टलनुमा वस्तु की वास्तविकता जांच का विषय वीडियो में दिखाई देने वाली वस्तु को पिस्टल बताया

जा रहा है, लेकिन उपलब्ध जानकारी में उसके वास्तविक हथियार होने की स्वतंत्र पुष्टि नहीं है। ऐसे में इस पहलू को जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही स्पष्ट किया जा सकेगा। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी अपने आप में दोष सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है। सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग की अपील पुलिस ने धार्मिक आस्था, परंपराओं और सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतने तथा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने से बचने की चेतावनी दी है। पुलिस के अनुसार, लाइक, व्यूज या प्रचार हासिल करने के लिए कानून-व्यवस्था अथवा सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मामले की आगे की जांच जारी है।

बी.एल.एस. इंटर कॉलेज में टेक्नोक्राफ्ट एक्सपो-2026 का आयोजन, बच्चों के मॉडलों ने मोहा मन

लखनऊ (संवाददाता)। ठाकुरगंज क्षेत्र में स्थित बी.एल.एस. इंटर कॉलेज में शनिवार को टेक्नोक्राफ्ट एक्सपो-2026 का आयोजन हुआ। विज्ञान, तकनीक और रचनात्मकता पर केंद्रित इस प्रदर्शनी में बच्चों ने अपनी मेहनत और कल्पनाशीलता से सबको प्रभावित किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि एमएलसी मुकेश शर्मा ने विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय श्री गंगा प्रसाद साहू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की। इसके बाद उन्होंने दीप प्रचलित कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में बच्चों ने ताजमहल, राम मंदिर, घंटाघर, लखनऊ जू, बड़ा इमामबाड़ा और देवदारना मंदिर के मॉडल बनाए, जो देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दशातें

हैं रोबोट, वाटर मैनेजमेंट, फलड कंट्रोल, सोलर एनर्जी, फ्यूचर स्कूल और स्मार्ट सिटी जैसे विषयों पर बने प्रोजेक्ट भी खास रहे। बच्चों द्वारा बनाया गया एक चलता-फिरता रोबोट सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकता है। इसे देखने के लिए अतिथियों और अभिभावकों की भीड़ लगी रही। मुख्य अतिथि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प का उल्लेख करते हुए बच्चों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने विकसित भारत की परिकल्पना पर आधारित मॉडलों तथा स्कूल पार्क और हरियाली से जुड़े प्रोजेक्ट की सराहना की। पार्श्व में भी प्रोजेक्ट और देखकर बच्चों को प्रोत्साहित किया। आयोजन के लिए पूरे विद्यालय को

अलग-अलग थीम पर सजाया गया था। प्री-प्राइमरी के नन्हें बच्चों ने बेकार सामग्री से आकर्षक कलाकृतियाँ बनाईं। अरेबियन नाइट्स थीम पर हुए विशेष आयोजन ने भी दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। मुख्य अतिथि के साथ पार्श्व मनीष रस्तोगी, पार्श्व अनुराग मिश्रा, भाजपा के वरिष्ठ नेता राम अवतार कर्नौजिया, संकेत मिश्रा, दया पांडे, सतीश शर्मा, सौरभ रस्तोगी और पीयूष तिवारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने बच्चों की मेहनत की सराहना कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की विद्यालय के मैनेजर संदीप साहू एवं डायरेक्टर प्रदीप साहू ने मुखा अतिथि और अन्य अतिथियों को अंगवस्त्र, पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।



भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
लखनऊ, 10 अक्टूबर 2026।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम

देश का निर्माण करने वाला बढ़ई समाज राजनीतिक भागीदारी से वंचित क्यों: विश्राम शर्मा

लखनऊ (संवाददाता)। अखिल भारतीय बढ़ई महासभा के तत्वावधान में हजरतगंज स्थित प्रेस क्लब, लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में बढ़ई समाज की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं तथा अधिकारों को प्रमुखता से उठाया गया। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्राम शर्मा ने कहा कि राजनीतिक दल कभी हिंदुत्व, कभी ओबीसी और कभी विश्वकर्मा समाज की एकता के नाम पर समर्थन मांगते हैं, लेकिन वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात आने पर बढ़ई समाज की अनदेखी किए जाने की शिकायत है। विश्राम शर्मा ने कहा कि विश्वकर्मा कोई एक जाति नहीं, बल्कि विभिन्न शिल्पकार समुदायों से जुड़ी व्यापक सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान है। इसमें बढ़ई, लोहार, स्वर्णकार, मूर्तिकार और शिल्पकार सहित विभिन्न समुदाय शामिल हैं। इनकी सामाजिक पहचान, आवादी और सरकारी वर्गीकरण अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न हो सकते हैं। महासभा के आकलन के अनुसार, इस समूह में बढ़ई समाज की आबादी सबसे अधिक है य इसके बावजूद उसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिलती। महासभा का कहना है कि विश्वकर्मा समाज की एकता के नाम पर अनेक संगठन कार्य करते हैं और राजनीतिक दल भी इस पहचान के माध्यम से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन बढ़ई समाज को नेतृत्व और राजनीतिक भागीदारी में उचित अवसर नहीं मिलते। महासभा ने आरोप लगाया कि विश्वकर्मा के नाम पर प्रतिनिधित्व की चर्चा में लोहार समुदाय को अपेक्षाकृत अधिक प्राथमिकता दिए जाने की शिकायत है, जबकि बढ़ई समाज को अपेक्षित स्थान नहीं मिल पा रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि महासभा किसी समुदाय के अधिकारों के विरोध में नहीं है। लोहार, स्वर्णकार, मूर्तिकार, शिल्पकार और

बढ़ई सभी को उचित अवसर मिलने चाहिए। वास्तविक एकता तभी सार्थक होगी, जब सभी समुदायों को सम्मानजनक भागीदारी मिले और किसी समुदाय की उपेक्षा न हो। बढ़ई समाज पीढ़ियों से फर्नीचर, दरवाजे-खिड़कियाँ, कृषि उपकरण और अन्य उपयोगी वस्तुओं के निर्माण में योगदान देता आया है। आधुनिक औद्योगिक उत्पादन, बड़ों कंपनियों और मशीनों से प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे कारीगरों के पारंपरिक कारोबार पर दबाव बढ़ा है। अनेक कारीगरों के पास आधुनिक मशीनरी, पूंजी, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुँच नहीं है। महासभा ने सस्ता ऋण, तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी खरीद में अवसर और छोटे कारोबार को बढ़ावा देने की मांग की। महासभा ने धुगतान में देरी, मेहनताना रोके जाने, अपमानित करने और धमकी जैसी शिकायतों पर चिंता व्यक्त की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक के बाद इसकी घोषणा की। प्रस्तावित नया नाम 'नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा-जेवर' होगा। हालांकि, नामकरण को औपचारिक रूप से लागू करने के लिए आगे की प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने का उल्लेख राज्य मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उनके नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री के

प्रति आभार व्यक्त करते हुए एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए अहम परियोजना जेवर में विकसित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की हवाई सहायता संबंधी जरूरतों को पूरा करने वाली महत्वपूर्ण परियोजना माना जा रहा है। इसके विस्तार और बेहतर सड़क एवं अन्य परिवहन संपर्क से दिल्ली-एनसीआर में यात्रियों की आवाजाही, व्यापार तथा क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह परियोजना दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बढ़ते आने वाली वस्तु को कम करने और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बेहतर हवाई

संपर्क उपलब्ध कराने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। नामकरण की औपचारिक प्रक्रिया पर नजर कैबिनेट की मंजूरी राज्य सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन प्रस्तावित नाम को आधिकारिक रूप से लागू करने के लिए आगे की प्रशासनिक और केंद्रीय स्तर की प्रक्रिया पर भी ध्यान देना होगा। अंतिम नाम और उसके लागू होने की स्थिति संबंधित औपचारिक निर्णयों तथा अधिसूचनाओं से स्पष्ट होगी। फिलहाल, जेवर एयरपोर्ट के नामकरण का प्रस्ताव चर्चा में है। आगे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि नया नाम आधिकारिक तौर पर कब से प्रभावी होगा।

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा का भाजपा पर हमला, बोलीं- 2027 में दिखेगा विरोध का असर

लखनऊ (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने जंतर-मंतर पर कांकोरच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन, राहुल गांधी के छात्रों की गुंज कार्यक्रम और इंडी गठबंधन के राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। आराधना मिश्रा ने शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन को लोकतांत्रिक अधिकार बताते हुए आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों को रोकना लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के भीतर भी असंतोष है और इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा। जंतर-मंतर पर कांकोरच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को लेकर आराधना मिश्रा ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि संविधान हर राजनीतिक दल और संगठन को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार देता है। राजनीतिक दलों और संगठनों की जिम्मेदारी है कि वे अपनी राय रखें और सरकार को उसकी गलत नीतियों के लिए जवाबदेह ठहराएं। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण तरीके से धरना-प्रदर्शन करने वालों को रोका जा रहा है। आराधना मिश्रा ने कहा कि ट्रेन रद्द की जा रही हैं, टोल पर गाड़ियां रोकी जा रही हैं और लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। उनके मुताबिक, शांतिपूर्ण विरोध को रोकना लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। राहुल गांधी के चेन्नई में आयोजित छात्रों की गुंज कार्यक्रम पर आराधना मिश्रा ने कहा कि यह कार्यक्रम पहले से निर्धारित है। इसमें कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। उन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर पार्टी की तैयारियों और नेताओं की भागीदारी की जानकारी दी।